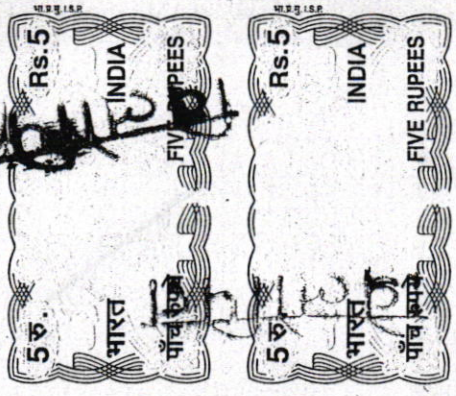

श्री द्वारा आज दि. 19-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

108

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग - 2813 - II - 16 /2016 पुनरीक्षण

जानकी प्रसाद पुत्र घनसुंदर ब्राह्मण निवासी-ग्राम खिरियादेवत, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0 -आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोक नगर, म0प्र0 --अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 08/02/2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 20स्वमेव निग0/2005-06 व उनवान म0प्र0 शासन बनाम जानकीप्रसाद ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय नायब तहसीलदार परगना ईसागढ़ जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण कमांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 2813–दो/2016 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२/ –9–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 20/स्वमेव निग0/2005–06 में पारित दिनांक 28–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार परगना ईसागढ के प्रकरण कमांक 67/अ19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 5–6–1991 के को स्वमेव निगरानी में लिया जिसपर आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 28–2–2013 के द्वारा अधीनस् थ न्यायालय का आदेश विधि विपरीत एवं अनियमित पाये जाने से निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार द्वारा 5 है0 का भूमिस्वामी घोषित किया जाने, ग्राम पंचायत को सूचना नहीं दिये जाने एवं ग्राम पंचायत का संकल्प (प्राप्त) नहीं करने एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण नायब तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत न पाते हुये निरस्त किया है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	